

मुकदमों का विवरण

सिविल लिबर्टीज और ए. एन. आर. के लिए लोगों का संघ।

महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। (1999 की आपराधिक अपील संख्या 1255)

13 सितंबर, 2023

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई, पमिडीगंथम श्री नरसिम्हा और मनोज मिश्रा, जे. जे.]
हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:मामला आपराधिक जांच के दौरान मीडिया ब्रीफिंग करने में पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाले तौर-तरीकों से संबंधित है।

मीडिया-मीडिया ब्रीफिंग/पुलिस कर्मियों द्वारा रिपोर्टिंग-स्वामित्व और प्रक्रिया:

आयोजित किया गया:आपराधिक मामलों में मीडिया रिपोर्टिंग में अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिक अधिकार से जुड़े जनहित की डिग्री शामिल है-केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक दशक से अधिक समय पहले मीडिया ब्रीफिंग के संचालन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए थे-तब से अपराध की रिपोर्टिंग में वृद्धि के साथ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुए हैं-एक मानक संचालन प्रक्रिया होनी चाहिए जो विचारों को संतुलित करती है-एक समान नीति की आवश्यकता है-प्रकटीकरण की प्रकृति एक समान नहीं हो सकती है क्योंकि यह अपराध की प्रकृति पर निर्भर होनी चाहिए और पीड़ितों, गवाहों और स्वयं अभियुक्तों सहित हितधारकों के प्रोफाइल पर निर्भर होनी चाहिए-प्रकटीकरण का परिणाम मीडिया परीक्षण में नहीं होना चाहिए-मीडिया परीक्षण उत्तरदायी हैं।[पैरा 6,17,18,19 और 20]

370 371

नागरिक स्वतंत्रता के लिए लोगों का संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य 372

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) 10

एससीसी 635:[2014] 12 एससीआर 54; ए के गोपालन बनाम नूरदीन (1969) 2 एससीसी 734;

सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम प्रतिभूति और विनिमय

भारतीय बोर्ड (2012) 10 एस. सी. सी. 603:[2012] 12 एस. सी. आर. 256-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपील/मूल/अंतर्निहित न्यायनिर्णय:1999 की आपराधिक अपील No.1255।

1997 की आपराधिक रिट याचिका No.1146 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 22.02.1999-25.02.1999 से।

सह

आपराधिक अपील 1999 की 1367, अवमानना याचिका (सिविल) 2011 की 2008 की रिट याचिका (सी) No.316,2011 की टीसी (सी) No.27 और 2008 की रिट याचिका (सिविल) No.316

रूप:

गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ता। (एसी)

अरुणाभ चौधरी, वरिष्ठ विधि धीरज, आशुतोष दुबे, श्रीमती अंशु वचेर, अक्षत वचेर, सुश्री अभिती वचेर, पी. एन. पुरी, प्रशांत भूषण, आदित्य शर्मा, सुश्री अपूर्वा पट्टनायक, मेसर्स पारेख एंड कंपनी, सुश्री सुमिता हजारिका, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री शोभा गुप्ता, आदित्य रंजन, सुश्री जेसी कुरियन, सुश्री तरजाना राय, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, भारत बागला, सौरव सिंह, आदित्य कृष्णा, टी. ए. खान, वसीम कादरी, चिन्मायी चंद्र, श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, अरविंद कुमार।

/

[2023] 12 एस सी आर।

पारही, रवि शंकर झा, रंजन मुखर्जी, सुश्री शर्मिला उपाध्याय, सर्वजीत प्रताप सिंह, मेसर्स कोच, सुश्री जी. इंदिरा, अभिषेक कुमार, अशोक कुमार सिंह, सुश्री हेमंतिका वाही, शुभदीप रॉय, दीपायन दत्ता, चंचल कुमार गांगुली, प्रवीण अग्रवाल, मुकेश कुमार मरोरिया, एम. शोएब आलम, मेसर्स करंजावाला एंड कंपनी। सुश्री तुलिका मुखर्जी, सुदर्शन राजन, सनी चौधरी, वी. के. वर्मा, रजत श्रीवास्तव, टी. सी. कौशिक, तरुण वर्मा, रजत अरोड़ा, शिवाशीष मिश्रा, हृषिकेश बरुआ, सौमित्र श्रीवास्तव, सुश्री राधिका गुप्ता, सुश्री रुचिरा गोयल, राजीव कुमार सिन्हा, राज कुमार, कपिल साहनी, सबरिश सुब्रमण्यन, विष्णु उन्नीकृष्णन, सी क्रांति कुमार, नमन द्विवेदी, दानिश सैफी, सुश्री वंशजा शुक्ला, सुश्री रचना गांधी, सौरभ त्रिवेदी, आशुतोष कुमार शर्मा, अरविंद एस., अब्बास, पुखरंभ रमेश कुमार, करुण शर्मा, अभिनव मुखर्जी, राघवेंद्र कुमार। वी. के. शर्मा, वी. एन. रघुपति, एम. के. मारोरिया, कृष्णानंद पांडे, अधिवक्ता। उपस्थित पक्षकारों के लिए।

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का निर्णय/आदेश

1. मामलों का यह समूह दो महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है:

((i) पुलिस मुठभेड़ों की जाँच में पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; और

((ii) पुलिस कर्मियों द्वारा मीडिया ब्रीफिंग की औचित्य और प्रक्रिया।

2. पुलिस मुठभेड़ों को नियंत्रित करने वाला पहला मुद्दा तब से इस न्यायालय के 23 सितंबर 2014 के निर्णय में पीपुल्स ट्रिब्यूनल में देखा गया है।

यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र राज्य **1.**

1 (2014) 10 एससीसी 635 373

नागरिक स्वतंत्रता के लिए लोगों का संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य 374

3. दूसरा मुद्दा मीडिया ब्रीफिंग के संचालन में पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाले तौर-तरीकों से संबंधित है, जहां एक कथित अपराध के लिए आपराधिक जांच जारी है। यह मुद्दा विशेष रूप से मीडिया रिपोर्टिंग के तरीके के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है, विशेष रूप से सार्वजनिक हित के अपराधों में।

4. संबंधित मुद्दों के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकरनारायणन को न्यायमित्र नियुक्त किया। 5. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जानकारी प्राप्त करने के लिए न्यायमित्र द्वारा एक प्रश्नावली प्रसारित की गई थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और पुडुचेरी के प्रशासन के अलावा बिहार, गोवा, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड सहित कई राज्यों ने जवाब दिया है। पीपुल्स यूनिन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा अवलोकन प्रस्तुत किए गए हैं, जो मामलों के समूह में अपीलकर्ताओं में से एक है। असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों ने एक संबंधित याचिका में उनके नेतृत्व में जवाबों की प्रतियां दी हैं।

6. अपराधों से जुड़े मामलों पर मीडिया रिपोर्टिंग में जनहित से जुड़े कई पहलू शामिल होते हैं। बुनियादी स्तर पर, बोलने और अभिव्यक्ति की निशुल्कता का मौलिक अधिकार सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यह समाचारों, विचारों और सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए मीडिया के अधिकार और मुद्रित समाचारों को जनता या पाठकों को देखने के अधिकार को शामिल करता है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार के अनुसरण में मीडिया के साथ-साथ समाचार, सूचना और विचारों के उपभोक्ताओं को निष्पक्ष और निष्पक्ष जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। आपराधिक अपराध और विधि प्रवर्तन तंत्र द्वारा उनकी जांच में सूचित किए जाने के अधिकार और जानने के अधिकार से संबंधित सार्वजनिक हित के महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं। 7. साथ ही, प्रतिस्पर्धी विचार भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक स्तर अंतर्गत, जिस आरोपी के आचरण की जांच की जा रही है, वह पुलिस द्वारा निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच का हकदार है। मीडिया द्वारा अनुचित रिपोर्टिंग में जनता की राय को प्रभावित करने और निर्दोषता की धारणा को प्रभावित करने की क्षमता है जो कि एक प्रमुख धारणा है।

/

[2023] 12 एस सी आर।

आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांत। जाँच और यहाँ तक कि मुकदमे के स्तर पर, प्रत्येक अभियुक्त को निर्दोष होने का अनुमान लगाने का अधिकार है। इस तरह से मीडिया रिपोर्टिंग जो जांच के अंतर्गत व्यक्ति की दोषीता को दर्शाती है, जांच के अंतर्गत व्यक्ति की प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत गरिमा को गंभीर रूप से प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी है। पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग सार्वजनिक संदेह को भी जन्म देती है कि जांच के अंतर्गत व्यक्ति ने अपराध किया है, हालांकि आरोपी की मिलीभगत की जांच की जानी बाकी है और यदि आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो विधि के अनुसार आपराधिक न्याय के प्रशासन के अधीन किया जाता है।

8. एक अन्य स्तर पर, मीडिया रिपोर्टिंग पीड़ितों या, जैसा भी मामला हो, अपराधों से बचे लोगों के अधिकार को भी बाधित करती है। किसी मामले में, पीड़ित नाबालिग हो सकता है। कुछ मामलों में, अपराध की प्रकृति में पीड़ित की गोपनीयता शामिल हो सकती है, जैसे कि लैंगिक हिंसा से जुड़े मामलों में। अपराध के मृतक पीड़ितों के शवों की तस्वीरों और दृश्यों का प्रकाशन मृत्यु में गरिमा को बनाए रखने की धारणा को लागू करता है।

9. जबकि मीडिया द्वारा प्रासंगिक विवरणों के प्रकटीकरण में संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के अंतर्गत मौलिक अधिकार से जुड़े सार्वजनिक हित शामिल हैं, समान रूप से, अभियुक्त और पीड़ितों के अधिकार या, जैसा भी मामला हो, अपराधों से बचे लोगों का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर सीधा असर पड़ता है जो अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित है।

10. इस स्तर पर, न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 3 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा, जो इस प्रकार है:

“स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक न्यायिक कार्यवाही-(क) को लंबित कहा जाता है -

((क) दीवानी कार्यवाही के मामले में, जब यह किसी वाद की भाषा द्वारा या अन्यथा शुरू की जाती है,

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही के मामले में, या कोई अन्य कानून-(i) जहां यह आरोप पत्र या चालान पेश किए जाने पर, या जब न्यायालय अभियुक्त के खिलाफ समन या वारंट जारी करती है, और 375

सिविल लिबर्टीज के लिए लोगों का संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य 376

((ख) किसी अन्य मामले में, जब न्यायालय उस मामले का संज्ञान लेता है जिससे कार्यवाही संबंधित है, और किसी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही के मामले में, तब तक लंबित माना जाएगा जब तक कि इसकी सुनवाई और निर्णय नहीं लिया जाता है, अर्थात्, ऐसे मामले में जहां अपील या पुनरीक्षण संभव है, जब तक कि अपील या पुनरीक्षण की सुनवाई नहीं हो जाती है और जब तक कि निर्णय नहीं लिया जाता है या जहां कोई अपील या पुनरीक्षण पसंद नहीं किया जाता है, जब तक कि ऐसी अपील या पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सीमा की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है।

((ख) जिसकी सुनवाई की गई है और जिसका अंतिम निर्णय लिया गया है, उसे केवल इस तथ्य के कारण लंबित नहीं माना जाएगा कि उसमें पारित डिक्री, आदेश या सजा के निष्पादन की कार्यवाही लंबित है। "

11. जिस तरीके से स्पष्टीकरण को शामिल किया गया है, वह किसी व्यक्ति को आपराधिक कार्यवाही पर रिपोर्ट करने के लिए अवमानना के आरोप के लिए उजागर कर सकता है, जब आरोप पत्र का नेतृत्व किया जाता है या, जैसा भी मामला हो, संज्ञान लिया जाता है या समन/वारंट जारी किया जाता है। इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव की अध्यक्षता अंतर्गत विधि आयोग की दो सौवीं रिपोर्ट अंतर्गत प्रावधान की पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया है क्योंकि यह संसद की एक संयुक्त समिति के तत्वावधान अंतर्गत भार्गव समिति की रिपोर्ट पर उत्पन्न हुआ था। न्यायमित्र ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि भार्गव समिति की रिपोर्ट में ए. के. गोपालन बनाम नूरदीन 3 के निर्णय पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसमें किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी को आपराधिक अवमानना का संज्ञान लेने के लिए प्रारंभिक बिंदु माना गया था। इन परिस्थितियों में विधि आयोग ने स्थिति को सुधारने के लिए सिफारिशें कीं।

12. इन कार्यवाहियों का दायरा मुकदमे से पहले के चरण तक सीमित है जहां जांच शुरू की गई है और जारी है। न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि जांच के बारे में पुलिस द्वारा कोई भी खुलासा इस तथ्य का संज्ञान होना चाहिए कि खुलासा की गई जानकारी न केवल अपराध के पीड़ित और आरोपी पर प्रभाव डालती है, बल्कि अपराध के नियम पर भी प्रभाव डालती है।

विधि । सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड 4 के मामले में अपने फैसले में, इस न्यायालय ने इस बात को रेखांकित किया कि

3 (1969) 2 एससीसी 734 4 (2012) 10 एससीसी 603

/

[2023] 12 एस सी आर।

अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अभियुक्त के अधिकार और अनुच्छेद 19 (1) (ए) के अंतर्गत मीडिया/जनता के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।

13. प्रस्तुतियों के दौरान, एमिक्स क्यूरी द्वारा प्रस्तुतियों के लिखित नोट में उठाए गए मुद्दे इस प्रकार हैं:

“1. मीडिया को कौन जानकारी दे सकता है?

2. ब्रीफिंग किस स्तर पर की जाती है?

3. प्रत्येक चरण में कितनी जानकारी साझा की जानी है? 4. कौन सी जानकारी साझा नहीं की जा सकती है?

5. क्या जानकारी को मौखिक रूप से या लिखित रूप में साझा या व्यक्त किया जाना है? 6. किन सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए (पीड़ितों का कोई नाम नहीं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में खड़े होने वाले अभियुक्तों की कोई तस्वीर नहीं, कोई राय/निर्णय नहीं, जांच या तकनीकी जानकारी का कोई खुलासा नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों में कोई जानकारी नहीं)

7. क्या प्रेस विज्ञप्ति की प्रतियां पुलिस विभाग द्वारा रखी जाती हैं?

8. निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई। "

14. न्यायमित्र द्वारा एक संकलन तैयार करने में एक श्रमसाध्य अभ्यास किया गया है जिसमें शामिल हैं:

(i) लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग की मीडिया संबंध पुस्तिका;

(ii) न्यूयॉर्क पुलिस विभाग की प्रेस संबंध सूचना; (iii) एसोसिएशन ऑफ चीफ पुलिस ऑफिसर्स, यूके की संचार सलाहकार;

(iv) जून 2012 में मीडिया संबंधों के संबंध में मेट्रोपॉलिटन पुलिस, लंदन द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया; (v) डोरसेट पुलिस के मीडिया संबंध दिशानिर्देश; 377

नागरिक स्वतंत्रता के लिए लोगों का संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य 378

(vi) केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए निर्देश अधिक विशिष्ट रूप से "नीति प्रभाग" शीर्षक वाली सी. बी. आई. नियमावली के अनुच्छेद 24.9 से 24.31 में दिए गए हैं; और

(vii) केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2010 को जारी आधिकारिक ज्ञापन जिसमें पुलिस की मीडिया नीति पर एक परामर्श शामिल है।

15. इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य होगा कि वैधानिक प्रावधानों में से निम्नलिखित का कार्यवाही के दौरान उठाए गए मुद्दों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है:

• भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 228-ए • दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 327

- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 74 (पहले किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 21)

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (जी) और (एच) और 8 (2)

16. न्यायमित्र ने निम्नलिखित सुझाव तैयार किए हैं जिनके आधार पर मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार किए जा सकते हैं:

“1. प्रत्येक जिले या शहर में मीडिया के साथ बातचीत के लिए एक मीडिया ब्रीफिंग सेल (एम. बी. सी.) होना चाहिए। इस तरह की बातचीत/प्रेस विज्ञप्ति लिखित रूप में और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के प्राधिकरण के साथ होनी चाहिए। प्रत्येक मामले पर प्रेस ब्रीफ तैयार की जानी चाहिए, जो किसी भी मीडिया ब्रीफ का आधार होगी।

2. एफ. आई. आर. दर्ज किए जाने, गिरफ्तारी किए जाने या छापेमारी किए जाने के बाद किसी भी स्तर पर प्रेस की जानकारी दी जा सकती है। हालांकि, शुरुआती चरणों में, बहुत कम जानकारी के साथ विभाजित किया जाना चाहिए, क्योंकि तथ्यों को पूर्ण और पूर्ण विश्वास की आवश्यकता होगी।

3. कुछ भी होने के बावजूद, पुलिस की प्राथमिक चिंता निजता के व्यक्तिगत अधिकारों या निर्दोषता के अनुमान से समझौता किए बिना न्याय का निष्पक्ष प्रशासन होना चाहिए।

/

[2023] 12 एस सी आर।

4. ऐसी जानकारी जारी नहीं की जानी चाहिए जो पुलिस को असंवेदनशील या प्रतिशोधी के रूप में चित्रित करे या जो किसी मुद्दे के पूर्व-निर्णय का सुझाव दे।

5. अपराध के स्थान, विशेष रूप से उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, पीछा करने आदि के संदर्भ में, से बचा जाना चाहिए क्योंकि इससे पीड़ित को नुकसान हो सकता है।

6. किसी भी परिस्थिति में यौन अपराधों और किशोर मामलों के पीड़ितों की पहचान पुलिस द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती है। यही बात अपहरण और अपहरण जैसे निरंतर अपराधों के पीड़ितों पर भी लागू हो सकती है। पुलिस चल रहे अभियानों या जांच रणनीति के विवरण को साझा करने के लिए भी सावधान रहेगी जो बंद करने वालों को सचेत करेगी या गवाहों को आश्वस्त करेगी। 7. प्रेस ब्रीफ्स को पुलिस की मीडिया बातचीत के स्थायी अभिलेख के रूप में रखा जाएगा, जिसमें एक प्रति प्रश्न पुलिस स्टेशन में, एक एमबीसी में और एक जिला मुख्यालय में रखी जाएगी। इस तरह के सभी विवरण ऑनलाइन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। 8. उपरोक्त दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन से विभागीय रूप से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, ताकि इस तरह के किसी भी दुस्साहस को रोका जा सके। "17. केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश एक दशक पहले 1 अप्रैल 2010 को तैयार किए गए थे। तब से, न केवल प्रिंट मीडिया में, बल्कि

इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में अपराध की रिपोर्टिंग में वृद्धि के साथ, यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक मानक संचालन प्रक्रिया होनी चाहिए जो उन विचारों को संतुलित करती है जिन्हें हमने ऊपर नोट किया है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जांच के आधिकारिक संस्करण का खुलासा सट्टा अपराध रिपोर्टिंग के खिलाफ सुनिश्चित करेगा, जो शामिल सार्वजनिक हित और आरोपी, संभावित गवाहों के साथ-साथ पीड़ितों और अपराध से बचे लोगों के हित दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। इस मायने में, एक समान नीति की आवश्यकता है जिसे नोडल अधिकारियों को नामित करने के लिए अपनाया जा सकता है जो जांच के चरण में आधिकारिक संस्करण को साझा करने के लिए उपलब्ध होंगे, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता के अनुरूप है कि प्रकटीकरण स्वयं जांच के पाठ्यक्रम को पटरी से न उतारे। प्रकटीकरण की प्रकृति समान नहीं हो सकती क्योंकि यह अपराध की प्रकृति और 379 सहित हितधारकों के लाभ पर निर्भर होनी चाहिए।

सिविल लिबर्टीज के लिए लोगों का संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य 380

पीड़ित, गवाह और स्वयं अभियुक्त। अभियुक्त के साथ-साथ पीड़ितों की उम्र और लिंग का खुलासा किए जाने की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात पर जोर देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पुलिस द्वारा किए गए प्रकटीकरण की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए और इसमें आरोपी के अपराध का निर्णय लेने से पहले एक व्यक्तिपरक राय शामिल नहीं होनी चाहिए। दिशानिर्देशों में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को उचित रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप मीडिया परीक्षण न हो ताकि अभियुक्त के अपराध का पूर्व निर्णय लिया जा सके। मीडिया परीक्षणों के परिणामस्वरूप साक्ष्य पर प्रभाव पड़ने से न्याय पटरी से उतर सकता है जो न्यायनिर्णायक अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और इसका मूल्यांकन किया जाएगा।

18. उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को पुलिस कर्मियों द्वारा मीडिया ब्रीफिंग पर एक व्यापक नियमावली तैयार करनी चाहिए। इस आदेश के पूर्व भाग के साथ-साथ प्रश्नावली और न्यायमित्र द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों में कुछ विचार जो जनहित के विभिन्न मुद्दों को संतुलित करने में महत्वपूर्ण होंगे, जबकि दिशा-निर्देश तैयार करने की आलोचना की गई है। न्यायमित्र ने निर्माण के उद्देश्यों के लिए उन प्रथाओं का मिलान किया है जिनका पालन अन्य क्षेत्राधिकारों में पुलिस विभागों और भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है।

19. हम निर्देश देते हैं कि सभी पुलिस महानिदेशक, इस आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर, उचित दिशानिर्देश तैयार करने के लिए अपने सुझाव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेंगे। इसके बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय पुलिस महानिदेशकों से प्राप्त विचारों पर विचार करने और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि वर्गों सहित अन्य हितधारकों से परामर्श करने के बाद दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए आगे बढ़ेगा, जिनके पास इस मुद्दे पर सुझाव हो सकते हैं।

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों से भी परामर्श किया जाना चाहिए।

20. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसका प्रतिनिधित्व सुश्री शोभा गुप्ता, वकील ने किया है, ने भी न्यायमित्र द्वारा प्रसारित प्रश्नावली पर अपना जवाब तैयार किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दृष्टिकोण को भी विधिवत ध्यान में रखा जाएगा।

/

[2023] 12 एस सी आर।

21. यह कवायद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 31 दिसंबर 2023 तक पूरी की जाएगी।

22. केंद्रीय गृह मंत्रालय एमिक्स क्यूरी श्री गोपाल शंकरनारायणन और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वकील सुश्री शोभा गुप्ता को दिशा-निर्देशों की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। 23. जनवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में कार्यवाही को सूचीबद्ध करें।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

निर्देश जारी किए गए।

निधि जैन